

उनवान

कैलाशी वा0 अदावत आट कौथ कुलिमा 296

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

अंक 9/0 सावंय आट कौथ डि- कुलिमा 296

- विपक्षी/विपक्षीगण

संज्ञित - श्री श्री एच. प्रदीप
अभिभावक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 18-3-20

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथा इस प्रकार से है - प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम कुलिमा 296 तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1041, 108, 109, 1191, 1192, 127, 129, 136, 1365, 1418, 1431, 1475, 1523, 33, 34 कुत कित्त 15 रकबा 5.36 हैक्टर का

प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार करतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पक्षी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाबिन्दु नहीं होने से आठे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबट किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण दावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बंधन अभिभावक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल अनाबन्दी ग्राम कुलिमा 296 संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परीक्षित किया जाकर मौजा कुलिमा 296 में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात कित्त 14 रकबा 5.32 हैक्टर की पत्थरगढ़ी पत्रकारान की मौजूदगी में अगर नौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई भी न्यायालय में विवादाधान न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1100 रुपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ नौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्वा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-3-20 को सरे इजलास सुनाया गया।

Sd/-
न्यायालय अधिकारी एम
 आर.ए.एस.
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिनिधि-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पत्रकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

Sd/-
न्यायालय अधिकारी एम
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)